संख्या- 236/2026/1892/22-2-2024-17(637)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सम्मी मोदनवाल पुत्र स्व० तुलसी प्रसाद, निवासी जनपद-वाराणसी की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सम्मी मोदनवाल पुत्र स्व० तुलसी प्रसाद, ग्राम-कादीपुर इन्द्रपुर, थाना-शिवपुर, जनपद-वाराणसी का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 02/03.05.2017 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जलाकर 01 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-222/2017 में भा०द०वि० की धारा-498ए, 304बी व 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-12, वाराणसी के आदेश दिनांक 07.07.2018 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 25.06.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 04 माह, 24 दिन तथा 06 वर्ष, 08 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 25.06.2023 तक 33 वर्ष, 04 माह, 04 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी सिद्धदोष बन्दी सम्मी मोदनवाल पुत्र स्व० तुलसी प्रसाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 33 वर्ष, 04 माह, 04 दिन की आयु एवं 10 वर्ष सश्रम कारावास के सापेक्ष दिनांक 25.06.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 04 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 08 माह, 09 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई पर समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सम्मी मोदनवाल(बन्दी संख्या-60/2019) पुत्र स्व० तुलसी प्रसाद, निवासी जनपद-वाराणसी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 236/2026/1892(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।